

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अर्जुन कुमार सिंह एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2018 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2593

2 जुलाई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

एफआईआर रद्द करना?

हेडनोट्स

भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 226 और 227—एफआईआर को रद्द करना—वर्ष 2010 में, जल संसाधन विभाग द्वारा महानंदा नदी के दाएं और बाएं तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाने और मजबूत करने के लिए एक निर्णय लिया गया था—यह बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत लिया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था—कंपनी के संविदात्मक दायित्व के संदर्भ में याचिकाकर्ता केवल साइट पर काम की निगरानी कर रहे थे—ठेकेदार और विभाग के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के बाद, विभिन्न शिकायतों के माध्यम से उठाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए एक फ्लाईंग स्क्वाड का गठन किया गया था—अनुमान की मद संख्या 9 के संबंध में अनियमितताएं पाई गईं—कंपनी को अधिकारियों द्वारा एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया था।

निर्णय: याचिकाकर्ता अनुमान समिति के सदस्य नहीं थे - अनुमान को सभी उच्च स्तरों पर अनुमोदित किया गया था - कंपनी द्वारा प्राप्त आइटम नंबर 9 में कुछ अनियमितताओं से अवांछित कार्य के लिए भुगतान विभाग को वापस कर दिया गया था - एफआईआर में लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 409 के तहत याचिकाकर्ताओं के लिए दंडनीय कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनाते हैं - कंपनी को अनियमित भुगतान, संविदात्मक दायित्व से बाहर, और फ्लाईंग स्क्वाड समिति की रिपोर्ट के अनुसार अवांछित कार्य के लिए किया

गया भुगतान तुरंत आरोपी/कंपनी द्वारा विभाग को वापस कर दिया गया - एफआईआर को परिणामी कार्यवाही के साथ याचिकाकर्ताओं के रूप में रद्द कर दिया गया - रिट की अनुमति दी गई।

(पैराग्राफ 19, 20, 28, 29)

न्याय दृष्टान्त

एन. राघवेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2021) 18 एससीसी 70 केयर फॉर ईयर; पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2008) 16 एससीसी 117; बिस्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य, 1994 अनुपूरक (3) एससीसी 97; संतोष डे बनाम अर्चना गुहा और अन्य, 1994 अनुपूरक (3) एससीसी 735; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1999 अनुपूरक (1) एससीसी 335- पर भरोसा किया गया।; बिस्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य, 1994 अनुपूरक (3) एससीसी 97- संदर्भित किया गया ।

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान, 1950

मुख्य शब्दों की सूची

संविदात्मक दायित्व, एफआईआर रद्द करना, प्राक्कलन समिति, जल संसाधन विभाग ।

प्रकरण से उत्पन्न

कटिहार टाउन (सहायक) पी.एस. 2018 का केस नंबर 403 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री रंजन कुमार झा, अधिवक्ता; श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से: श्री कुणाल तिवारी, एसी -जीए-॥.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ।

2018 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या-2593

जिला - कटिहार ,पुलिस थाना- कटिहार काण्ड संख्या -403/2018 से उत्पन्न मामला।

1. अर्जुन कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका सिंह ,निवासी,फ्लैट संख्या-301, एम. के. रेजीडेंसी, विवेकानंद मार्ग, पुलिस थाना -श्री कृष्णपुरी, जिला- पटना, वर्तमान में कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रभाग, मुजफ्फरपुर पश्चिम के रूप में तैनात है।
2. बिवाश कुमार गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय शिवेंद्र प्रसाद साह उर्फ स्वर्गीय श्री शिवेंद्र प्रसाद, निवासी, फ्लैट संख्या-104, शिव एन्क्लेव, तारकेश्वर पथ, चिरैया टंड, पोस्ट आफिस -जी. पी. ओ., पुलिस थाना - जक्कनपुर , जिला-पटना, वर्तमान में निलंबन, जल संसाधन विभाग, गंगा सोन बाढ़ संरक्षण प्रभाग, दीघा, पटना के तहत कनिष्ठ अभियंता के रूप में तैनात
3. उदय कुमार, पुत्र श्री राम बिलास प्रसाद, निवासी कुमार हार्डवेयर,निवासी, 4 एम/136, भूत नाथ रोड, पोस्ट आफिस - बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पुलिस थाना - अगम कुआँ, पटना वर्तमान में जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रभाग, किशनगंज के निलंबन के तहत कनिष्ठ अभियंता के रूप में तैनात हैं।
4. विश्व वल्लभ कुमार, पुत्र श्री रामचंद्र प्रसाद जयस्वाल, सरयुग देवी कॉलोनी निवासी, नया टोला, मिर्चाई बारी पोस्ट आफिस और पुलिस थाना - मिर्चाई बारी, जिला- कटिहार, वर्तमान में निलंबित कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रभाग, किशनगंज के रूप में तैनात।
5. सुशील कुमार पांडे, पुत्र स्वर्गीय पंचानंद पांडेय, निवासी,गाँव और पोस्ट आफिस - चुरामनपुर, पुलिस थाना -बक्सर, जिला-बक्सर, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, सलमारी।
6. जितेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र स्वर्गीय रामजी सिंह , निवासी, फ्लैट संख्या- 101, श्रेया अपार्टमेंट, आरा गार्डन रोड, जगदेव पथ, पोस्ट आफिस -पशु चिकित्सा

महाविद्यालय, पुलिस थाना रूपसपुर, जिला-पटना, वर्तमान में जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण अंचल गोपालगंज में अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यरत हैं।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस अधीक्षक, कटिहार, जिला-कटिहार।
3. स्टेशन प्रमुख अधिकारी, कटिहार नगर सहायक पुलिस थाना, जिला-कटिहार
4. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग कटिहार।

----- उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रंजन कुमार झा, अधिवक्ता

श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री कुनाल तिवारी, ए० सी० से जी० ए०-॥

=====

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

सीएवी निर्णय

दिनांक : 02-07-2025

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार झा और राज्य की ओर से एसी से जीए-॥ तक के विद्वान श्री कुनाल तिवारी को सुना गया।

2. उपर्युक्त छह याचिकाकर्ताओं द्वारा भारतीय संविधान की धारा 226 और 227 के तहत निम्नलिखित प्रार्थनाओं और राहत के लिए प्रस्तुत वर्तमान रिट आवेदन:

“(1) कटिहार टाउन (सहायक) पुलिस थाना मामला सं.403/2018 दिनांक 25.06.2018 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अभियोजन को रद्द करने के लिए, जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष 25.06.2018 को एक लिखित रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409/34 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। इस

आधार पर कि चूँकि याचिकाकर्ता प्रश्नगत योजना के प्राक्कलन की तैयारी और अनुमोदन से बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे, भले ही उपरोक्त योजना के प्राक्कलन में कोई गलत प्रावधान किया गया हो, याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, यदि उन्होंने कार्य को अन्य अभियुक्तों द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन के अनुसार ही किया था और

द्वारा अनुमोदित मुख्य अभियंता।

(II) कोई अन्य उपयुक्त रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हकदार पाए जाएँगे।”

वर्तमान रिट आवेदन में शामिल महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न

“(1) क्या इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाना

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसलिए, इसे याचिकाकर्ताओं के कारण रद्द किया जा सकता है?

(II) क्या, यदि यह आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की अनुमान तैयार करने में कोई भूमिका है, अन्य द्वारा अनुमान में किए गए किसी गलत प्रावधान के कारण, याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाने का आधार हो सकता है?

(III) क्या, यदि प्रश्नगत योजना के मद संख्या 9 के संबंध में अनियमितता

उइन दस्ते द्वारा इंगित किए जाने के बाद और उसकी सिफारिश के आधार पर, अनुमान के मद संख्या 9 में ठेकेदार को किया गया भुगतान पहले ही वसूल कर लिया गया था और सरकारी खाते में जमा कर दिया गया था, तो

विभाग और/या सूचनादाता के पास याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अवसर था?

(IV) क्या याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाना कानून की दृष्टि से अन्यथा गलत है?”

वर्तमान रिट आवेदन में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना निम्नानुसार हो सकती है :

“अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए, नियम एनआईएसआई जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों से यह कारण बताने को कहा जाए कि इस आवेदन को स्वीकार क्यों नहीं किया जाए या प्रवेश चरण के समय ही इसका निपटारा क्यों न किया जाए और नियम की वापसी पर, यदि कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो नियम को पूर्ण माना जाए, इस आवेदन को स्वीकार किया जाए और पक्षों को सुनने के बाद, कटिहार टाउन (सहायक) पीएस मामला संख्या 403/2018 दिनांक 25.06.2018 जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटिहार की अदालत में लंबित है, के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अभियोजन को रद्द करने की कृपा की जाए।

और/या

ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित किए जाएं जिन्हें यह अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उचित समझे।

और

इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, कटिहार टाउन (सहायक) पीएस मामला संख्या 403/2018 दिनांक 25.06.2018 की आगे की कार्यवाही 25.06.2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटिहार की अदालत में लंबित याचिकाकर्ताओं

के मामले पर कृपया रोक लगाई जाए।”

घटना की तारीख के साथ मामले के तथ्य

क्रमांक	तिथि	घटनाएँ
1.		जल संसाधन विभाग द्वारा महानंदा नदी के दाहिने और बाएं तटबंध को ऊपर उठाने और मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया था ताकि बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा के लिए अन्य संबद्ध कार्य किए जा सकें जो महानंदा नदी की बाढ़ से प्रभावित हो रहे थे। उक्त योजना

		गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित की जा रही थी।
2		भारत सरकार की उपरोक्त योजना को लागू करने के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, कटिहार को उपरोक्त योजना के लिए नोडल प्रभाग घोषित किया गया था।
3	06.04.2010 (एनी-पी-1)	यह अनुमान बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, कटिहार द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर श्री जय प्रकाश चौधरी और श्री राम एकबाल सिन्हा ने कनिष्ठ अभियंता के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इस पर श्री मुखलाल राम और श्री सुभाष राय ने सहायक अभियंता के रूप में और श्री उपेंद्र और श्री मोद नारायण चौधरी ने क्रमशः कार्यपालक अभियंता और अभियंता के रूप में हस्ताक्षर किए थे।

4		याचिकाकर्ता किसी भी तरह से उक्त योजना के अनुमान की तैयारी से जुड़े नहीं थे।
5		इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा जी.एफ.सी.सी. (केंद्र सरकार की शाखा) की सहमति के बाद दी गई।
6		इस प्रकार तैयार की गई योजना के अनुमान को मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया था।
7		ठेकेदार के चयन के लिए एक निविदा सूचना जारी की गई थी।
8		अनुबंध को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का पालन करने के बाद, मुख्यालय में गठित विभाग की निविदा समिति ने उक्त योजना का अनुबंध सर्वश्री जी. एस. कंपनी को प्रदान किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़।
9		उपरोक्त कंपनी को काम आवंटित किए जाने के बाद, कंपनी याचिकाकर्ताओं की देखरेख में काम के साथ आगे बढ़ी और यह

		अनुमान में किए गए प्रावधानों को देखते हुए अपने संविदात्मक दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही थी।
10		जब काम चल रहा था, तब विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग और वरिष्ठ इंजीनियरों द्वारा बिना किसी संख्या के समय-समय पर इसकी निगरानी की गई और ठेकेदार द्वारा किए गए काम या अनुमान में कोई त्रुटि नहीं पाई गई।
11	जून, 2013	यह काम जून, 2013 में पूरा हो गया था।
12		कुछ शिकायतें मिलने पर, पूछताछ करने और शिकायत पर प्रतिवेदन करने के लिए एक उड़न दस्ते को नियुक्त किया गया था।
13	25.07.2016 (एनी-पी-2)	फ्लाईंग स्क्वाड ने मद संख्या-9 के संबंध में अनियमितताओं की सूचना दी। अनुमान से।
14	23.03.2017 (एनी-पी-3)	मद संख्या- 9 के तहत ठेकेदार को भुगतान किया गया धन अनुमान की राशि ठेकेदार से बरामद की गई और इसे सरकारी खाते में जमा किया गया।
15	07.07.2017 (एनी-पी-4)	कार्यकारी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, कटिहार ने ठेकेदार के साथ समझौते की वसूली और समापन के बारे में विभाग को सूचित किया।
16		याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और याचिकाकर्ताओं ने अपना जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी भी तरह से अनुमान तैयार करने से जुड़े नहीं थे और इसलिए, उन्हें किसी भी अनियमितता के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही यह उनके द्वारा नहीं किया गया हो
17		जब उपर्युक्त फाइल को जल संसाधन विभाग की आंतरिक सतर्कता शाखा के समक्ष रखा गया, तो विभाग की सतर्कता शाखा की राय थी कि अगर इस अनियमितता का पता उड़न दस्ते द्वारा नहीं लगाया गया होता, तो सरकार को सार्वजनिक धन का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता।

18		विभाग द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था।
19	25.06.2018 (एनी-पी-6)	उत्तरदाता संख्या- 4 प्रत्यर्थी संख्या के समक्ष एक लिखित प्रतिवेदन दायर की। 3 जिस पर प्रत्यर्थी नं। 3 एक औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन की स्थापना की गई और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409/34 के तहत अपराधों के लिए 2018 का कटिहार नगर (सहायक) पी. एस. मामला संख्या 403 होने का मामला दर्ज किया गया।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता श्री रंजन कुमार झा ने कहा कि वर्ष 2010 में याचिकाकर्ता संख्या- 1 को जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, सलमारी में सहायक अभियंता के रूप में तैनात किया गया था।, बिहार।याचिकाकर्ता -2 को जूनियर अभियन्ता (जे. ई.) के रूप में तैनात किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता एन. ओ. एस. 5 और 6 को उसी प्रभाग में क्रमशः कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता के रूप में तैनात किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक याचिकाकर्ता एन. ओ. एस. है। 3 और 4 संबंधित हैं, उन्हें संबंधित समय पर बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, कटिहार में जूनियर अभियन्ता के रूप में तैनात किया गया था।

4. श्री झा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2010 में, जल संसाधन विभाग द्वारा कटिहार जिले को पार करने वाली महानंदा नदी के दाहिने और बाएं तटबंधों की ऊंचाई को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया था ताकि बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा के लिए अन्य संबद्ध कार्य किए जा सकें, जो महानंदा नदी की बाढ़ से प्रभावित हो रहे थे।यह अभ्यास बाढ़ प्रबंधन योजना (संक्षेप में, 'एफएमएस'), चरण-1 के तहत किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि

जल संसाधन विभाग, बिहार को भारत सरकार की उपरोक्त योजना को लागू करने के लिए अपनी नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया था।

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यास के लिए, याचिकाकर्ता एन. ओ. एस. की किसी भी भागीदारी के बिना, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग (संक्षेप में, 'एफ. सी. डी.'), कटिहार द्वारा एक अनुमान तैयार और तैयार किया गया था। 3 और 4 वहाँ उनकी पोस्टिंग के बावजूद यह बताया गया है कि तैयार किए गए अनुमान पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री जय प्रकाश चौधरी और श्री राम एकबल सिन्हा ने जूनियर इंजीनियरों के रूप में हस्ताक्षर किए थे। श्री मुखलाल राम और श्री सुभाष राय ने सहायक अभियंता, के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में दस्तावेज़ का समर्थन किया। और बाद में श्री उपेंद्र और श्री मोद नारायण चौधरी द्वारा क्रमशः कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के रूप में उनकी क्षमता में अनुमोदित और हस्ताक्षर किए गए। उपर्युक्त अनुमान/योजना की लागत दिनांक 06.04.02010 याचिका के साथ **अनुलग्नक 'पी-1'** के रूप में संलग्न है।

6. श्री झा ने आगे दलील दी है कि उपर्युक्त योजना तकनीकी स्वीकृति के लिए विभाग के मुख्य अभियंता को भेजी गई थी, जिसे उन्होंने तकनीकी रूप से स्वीकृत भी कर दिया था।

उपर्युक्त अनुमान को जी.एफ.सी.सी. के माध्यम से निवेश मंजूरी के लिए भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। इसके अनुसरण में, एक ठेकेदार के चयन के लिए एक निविदा सूचना जारी की गई थी, और अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर, मुख्यालय में गठित विभाग की निविदा समिति ने उक्त योजना से संबंधित अनुबंध मेसर्स 16 जी.एस. कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) को प्रदान किया। यह उल्लिखित है कि उपर्युक्त ठेकेदार को अनुबंध

प्रदान करते समय, योजना के अनुमान का निविदा समिति द्वारा दर-वार और मद-वार सत्यापन किया गया था, लेकिन इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई।

7. उपर्युक्त संदर्भ में, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी ने याचिकाकर्ताओं की देखरेख में सौंपे गए कार्य का निष्पादन शुरू किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और स्वीकृत अनुमान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्वों का विधिवत निर्वहन कर रही थी। चूंकि काम स्वीकृत अनुमान में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी आधिकारिक क्षमताओं में उक्त अनुमान के दायरे और प्रावधानों के भीतर ठेकेदार द्वारा किए गए काम को दर्शाते हुए माप पुस्तिका तैयार की।

8. यह बताया गया है कि संतोषजनक काम के बाद ही विभाग की मंजूरी के बाद ठेकेदार को भुगतान किया गया था और किसी भी स्तर पर कोई गलती नहीं पाई गई थी। उपर्युक्त कार्य वर्ष 2013 में पूरा किया गया था और उसके बाद ठेकेदार और विभाग के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके अनुसार विभिन्न शिकायतों के माध्यम से लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए एक उड़न दस्ते का गठन किया गया था।

9. यह श्री झा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि फ्लाइंग स्क्वाड सर्कल जल संसाधन विभाग के संख्या - 1 ने एक जांच की और मद संख्या-1 के संबंध में कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए 25.07.2016 पर विभाग के प्रधान सचिव को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की। अनुमान का 9, जिसे तकनीकी रूप से एक तटबंध को ऊपर उठाने, मजबूत करने और ईंट की कटाई की योजना के लिए प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए, मद संख्या के तहत ठेकेदार को पहले से ही भुगतान की गई राशि

की वसूली के लिए इसकी सिफारिश की गई थी। अनुमान का 9, जो **अनुलग्नक 'पी-2'** के रूप में वर्तमान याचिका के साथ संलग्न 25.07.2016 के प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

10. श्री झा द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि फ्लाइंग स्क्वाड की सिफारिश को देखते हुए तुरंत सुधारात्मक उपाय किए गए और मद संख्या के तहत ठेकेदार को धन का भुगतान किया गया। अनुमान का 9 ठेकेदार से बरामद किया गया था और 23.03.2017 पर विभाग के खाते में जमा किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा सरकारी धन की किसी भी राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया था, जो दिनांक 23.03.2017 के हस्तांतरण प्रविष्टि आदेश की प्रति से स्पष्ट है, जो संलग्न है। याचिका के साथ **अनुबंध 'पी-3'** के रूप में।

11. यह भी उपर्युक्त के साथ प्रस्तुत किया गया है। बहाली, बाढ़ नियंत्रण विभाग, कटिहार ने विभाग को ठेकेदार के साथ समझौते की वसूली और समापन के बारे में पत्र संख्या के माध्यम से सूचित किया। 708 दिनांकित 07.07.2017, जो वर्तमान रिट आवेदन के साथ **अनुलग्नक 'पी-4'** के रूप में संलग्न है।

12. यह बताया गया है कि, आश्चर्यजनक रूप से, पत्र संख्या 647 दिनांक 08.05.2017 और पत्र संख्या 380 दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने क्रमशः

27.11.2017 और 02.05.2018 को अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी भी तरह से अनुमान तैयार करने से जुड़े नहीं थे, जैसा कि पूर्वोक्त प्रस्तुत किया गया है, और उनका किसी भी अनियमितता से कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 6 द्वारा भी यही जवाब दाखिल किया गया था।

याचिकाकर्ता संख्या 5 उस समय तक, अर्थात् वर्ष 2012 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे; इसलिए, उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि जब उपरोक्त मामला जल संसाधन विभाग की आंतरिक सतर्कता शाखा के समक्ष रखा गया था, तो विभाग की सतर्कता शाखा ने यह राय दी थी कि यदि यह अनियमितता उड़न दस्ते द्वारा नहीं पकड़ी गई होती, तो सरकार को सार्वजनिक धन की वित्तीय हानि होती और केवल इस राय और धारणा के आधार पर, विभागीय सतर्कता शाखा ने

वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश जारी किया, जिसके जवाब में प्रतिवादी संख्या 4 ने 25.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक लिखित सूचना/रिपोर्ट दर्ज की जिसमें राज्य को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन

अपनी लिखित रिपोर्ट में नामित किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया, इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3, जो कटिहार टाउन के एसएचओ हैं, ने कटिहार टाउन (सहायक) पी.एस. के रूप में वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 409/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 25.06.2018 का मामला संख्या 403/2018, जिसे वर्तमान याचिका के साथ अनुलग्नक 'पी-6' के रूप में भी संलग्न किया गया है

(रद्द करने का अनुरोध किया गया है)।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, आरोप प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रयास का मामला नहीं बनता है। और इसलिए, संबंधित प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाए और

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपलब्ध कानूनी रिपोर्ट के मद्देनजर रद्द कर दिया जाए। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल एवं अन्य के माध्यम से। जो 1999 के अनुपूरक (1) एससीसी 335 में रिपोर्ट की गई थी।

15. तर्क का समापन करते हुए, श्री झा द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, उपर्युक्त चर्चा की गई योग्यता के अलावा, जैसा कि वर्तमान प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उपलब्ध है, इस मुद्दे में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आधार जांच में देरी है, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पिछले सात (7) वर्षों से लंबित है, क्योंकि इस मुद्दे में प्राथमिकी 25.06.2018 पर दर्ज की गई थी। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, श्री झा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की काविधिक प्रतिवेदन पर भरोसा किया जो उपलब्ध है। पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के माध्यम से (2008) 16 एस. सी. सी. 117 में प्रतिवेदित किया गया; विश्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य 1994 में प्रतिवेदित किया गया पूरक (3) एस. सी. सी. 97; संतोष डी बनाम अर्चना गुहा और अन्य ने 1994 में प्रतिवेदित किया पूरक (3) एस. सी. सी. 735 और एन. राघवेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ने (20210-18 एस. सी. सी. 70) में प्रतिवेदित किया।

16. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने 09.10.2020 पर एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता, तकनीकी व्यक्ति होने के नाते, उसमें तैनात थे और उन्होंने कंपनी पटना उच्च न्यायालय सी. आर. को कथित भुगतान में सक्रिय रूप से भाग लिया। मद संख्या-9 में उल्लिखित अवांछित कार्य के लिए अनुबंध। तकनीकी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने इसे इंगित किया होगा, लेकिन यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि अतिरिक्त भुगतान आइटम नहीं है। कंपनी द्वारा तुरंत विभाग को वापस कर दिया गया और आरोप केवल कथित अपराध करने के प्रयास तक

सीमित है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले की जांच अभी भी याचिकाकर्ताओं के लिए लंबित है।

17. इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, कटिहार टाउन (सहायक) पुलिस थाना मामला संख्या 403/2018 दिनांक 25.06.2018 की प्राथमिकी को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।

पत्रांक..... 617/कटिहार, दिनांक25-26/2018

सेवा में,

थानाध्यक्ष महोदय,

सहायक थाना, मिरचचाईबाड़ी, कटिहार।

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-सं०- 22/नि०सि० (पु०)-01-07/2014/1181 दिनांक 25 05.2018 एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निरसरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार का पत्रांक- 1433 दिनांक 21.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सालमारी द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक अपर महानन्दा फेज-1 के अधीन महानन्दा नदी के दौरे एवं बाँये तटबंध में कराये गये कार्यों की जाँच विभागीय उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा की गई। विभागीय उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा पाया गया कि रोलिंग कम्पेक्शन मद में अनावश्यक रूप से 76.69 लाख रुपये का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया था। कियान्वित करने

वाले अभियंताओं द्वारा संवेदक को इस मद में 53.52 लाख भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा प्रतिवेदन देने के बाद संवेदक से कर ली गई है। उड़नदस्ता जाँच दल के प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के कम में प्राक्कलन तैयार करने वाले, प्राक्कलन की स्वीकृति देने वाले एवं कार्य कराने वाले 20 अभियंतोंओं को मिट्टी के कम्पेक्शन मद में दो बार प्रावधान किये जाने के कारण संवेदक को गलत तरीके से लाभ एवं सरकार को गलत नुकसान कराने के प्रयास का दोषी पाया गया जो एक आपराधिक कृत्य है। इन अभियंताओं के क्रियाकलाप को अपराधिक कोटी का मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा संसूचित है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार के कार्यपालक अभियंता नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित थे। इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशानुसार उड़नदस्ता जाँच में दोषी पाये गये अभियंताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के साथ प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रति एवं उड़नदस्ता जाँच दल का 670 पृष्ठों का जाँच प्रतिवेदन संलग्न किया जा रहा है। अनुरोध है कि नीचे उल्लेखित अभियंताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे तथा दर्ज प्राथमिकी संख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना चाहेंगे, ताकि विभागीय उच्च पदाधिकारियों को सूचित किया जा सके।

क्र० सं०	नम एवं पदनाम	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार का पता	अभियुक्त
1.	श्री सुभाष राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता	स्व० साल बहादुर	ग्राम+पो०+थाना-उच्चकागांव, जिला गोपालगंज	ग्राम+पो०+थाना-उच्चकागांव, जिला गोपालगंज	
2.	श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता	स्व० चन्द्रीका सिंह	ग्राम- विजय रायके टोला पोस्ट- रिगलंगंज जिला छपरा	फ्लैट नं०-301 एम०के० रेसिडेन्सी अपार्टमेंट 1/16 विवेकानंद मार्ग उत्तरी एस० के० पूरी, पटना-13 मो०-9430849550	
3.	श्री मुखलाल राम तत्कालीन सहायक अभियंता	स्व० फुलचन्द राम	ग्राम+पो०-डेहरी भाया-चौसा जिला-बक्सर पिन-802114	ग्राम-पो- देवकाली भाया करहीया जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पिन 232339 मो०-9430030446	

4.	श्री मोइनूधीन अंसारी तत्कालीन कनीय अभियंता	स्व० करीम अंसारी	ग्राम-सुकुही पो०-खुडिया थाना-शिवसागर जिला- रोहतास सासाराम	ग्राम-सुकुही पो०-खुडिया थाना-शिवसागर जिला- रोहतास सासाराम	
5.	श्री विश्ववल्लव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता	श्री रामचन्द्र प्रसाद जयसवाल	ग्राम-आर्दश नगर फुक्रिया पो-घोघा थाना-कहलगाँवटोला जिला-भागलपुर पिन- 813205	रूग देवी कॉलनी, नया मिरचाईबाडी कटिहार पिन-854105	
6.	श्री उदय कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता	श्री रामविलाप प्रसाद	ग्राम+पो०-भातहार जिला- नालंदा पिन- 801307	कुमार हार्डवेयर 4 एम०/136. भूतनाथ रोड पो०-बी०एच कॉलनी पटना पिन-800026	
7.	श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता	स्व० रामजी सिंह	फ्लैट नं०-101 सिरया अपार्टमेंट, आर गार्टन रोड, जगदेव पथ पो०-पशुरोड, जगदेव पथ पो०- चिकित्सा कॉलेज, पटनापशु चिकित्सा कॉलेज, बेली रोड जि०-पटना पिन-पटना बेली रोड जि०- 800014 पटना पिन-800014		
8.	श्री विभाष कुमार गुप् तत्कालीन सहायक अभियंता	स्व० शिवेन्द्र प्रसाद साह	ग्राम- बदलूगंज पो-इसीपर जिला-भागलपुर पिन- 813206	शक्ति गुप्ता, पलेट नं- 104 शिवा इन्कलेव तारकेश्वर पथ लोहानीपुर पटना मिन-8000001	
9.	श्री सुबोध कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता	श्री रामस्वरूप सिंह यादव	ग्राम- चुक्ती पो०+थाना- मानसी जिला-खगडिया पिन-851214	ग्राम- चुक्ती पो०+थाना- मानसी जिला-खगडिया पिन-851214	
10.	ई०० उपेन्द्र तरकालीन कार्यपालक अभियंता	स्व० सीता राम	ग्राम+पो०- चौधुआ जिला- मुजफ्फरपुर	कलामबाग रोड चौक रैनबसेरा हनुमान मंदिर के सामने थाना- काजीमोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर	सेवानिवृत्त
11.	ई०० मोहन लाल तत्कालीन कार्यन्तलक अभियंता	स्व० भगेलु साह	डॉ० आर.सी० पाल के सामने, जहाजी कोठी के नजदीक, पो०- कदमकुआँ जिला-पटना	डॉ० आर.सी० पाल के सामने, जहाजी कोठी के नजदीक, पो०- कदमकुआँ जिला-पटना मो०-9430513285	सेवानिवृत्त
12.	श्री जय प्रकार चौधरी तत्कालीन कनीय अभियंता	स्व० कुवर प्रसाद चौधरी	ग्राम-सोहेली पो०-बमदेव जिला-बाका पिन-813107	ग्राम-लालुचक बंगारी पो०-इसाचक जिला भागलपुर मो०-	सेवानिवृत्त

				9431498615	
13.	श्री राम इकबाल सिन्हा तत्कालीन कनीय अभियंता	स्व. बहादुर शर्मा	ग्राम+पो0-बन्धुगंज जिला- जहानाबाद	ग्राम+पो0-बन्धुगंज जिला- जहानाबाद	सेवानिवृत्त
14.	श्री सुभाष प्रसाद कनीय अभियंता	स्व. श्याम सुंदर साह	ग्राम-महमदा पोस्ट-पाटन जिल्ला मुंगेर	स्वटर-5 एम० एच० एमा आई० जी० 38 न यू हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी ग्राम-पो0 बरारी जिला- भागलपुर पिन-812003 मो०-9470897081	सेवानिवृत्त
15.	श्री सुशील कुमार पांडे तत्कालीन कार्यपालक अभियंता	श्री पचानंद पांडे	ग्राम+पो0-चुरामनपुर थाना-बक्सर जिला- बक्सर	ग्राम+पो0-चुरामनपुर थाना-बक्सर जिला- बक्सर	सेवानिवृत्त
16.	श्री सतनेश कुमार कार्यपालक अभियंता	स्व. दामोदर प्रसाद	ग्राम-बैंक पो० कसुम्मा जिला-शेखपुरा	मोहला-रोड नं-1 खासमाहत चिडयाँटार, पटना पिन-800001 मो०-9430003021	सेवानिवृत्त
17.	श्री अनंत लाल यादव तत्कालीन कार्यपालक अभियंता	स्व. जीवछ यादव	ग्राम+पो0+थाना-फलपरास जिला-मधुबनी	ग्राम+पो0+थाना- फलपरास जिला-मधुबनी	सेवानिवृत्त
18.	श्री इन्द्रजीत सक्सेना तत्कालीन मुख्य अभियंता	स्व. अनुप राम	शिशमहल अपार्टमेंट, ब्लाक-4 बी बहादुरपुर गुमटी, राजेन्द्र नगर, पटना पिन-800016	शिशमहल अपार्टमेंट, ब्लाक-4 बी बहादुरपुर गुमटी, राजेन्द्र नगर, पटना पिन-800016	सेवानिवृत्त
19.	श्री मोद नारायण चौधरी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता	स्व. विष्णु कांत चौधरी	ग्राम-सुहरीया पो०-देनहर जिला मधुबनी	डी०/36 अजंता कॉलनी, केशरी नगर पटना 24 मो०-9431093130	सेवानिवृत्त
20.	श्री उदयमान सिंह प्राक्कलन पदाधिकारी	स्व. सुदर्शन सिंह	ग्राम-अमेठी पोस्ट-मसौना थाना- संजौली, भाया-नोखा जिला-रोहतास, सासाराम पिन-802215	विशाल नगर (Near AIIMS, Patna)-रोड नं० -6/7 जानीपुर रोड (NH-98) पोस्ट- मुबारकपुर भाया-फुलवारी शरीफ जिला-पटना पिन- 801505 मो०- 9431881319	

विश्वासभाजन

ह 0/-अस्पष्ट

कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काटिहार ।
स्थायी पता ग्राम+गो-पौदपुर
थाला गोपालपुर, जिला-भागलपुर
मो0-7463889238

18. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है :

"409. लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात।—जो कोई किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या किसी लोक सेवक की क्षमता में संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ या एक बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, अधिवक्ता या अभिकर्ता के रूप में अपने व्यवसाय के तरीके से, उस संपत्ति के संबंध में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है, उसे 1 [आजीवन कारावास], या किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक अवधि के लिए हो सकता है जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।.

19. प्रस्तुतियों और जवाबी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, और अभिलेख के अवलोकन पर भी, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 25.07.2016 पत्र के संदर्भ में अनुमान समिति के सदस्य नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि तकनीकी समिति सहित सभी उच्च स्तरों पर अनुमान को मंजूरी दी गई थी। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि भुगतान कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसे इस मामले में आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। भुगतान की प्राप्ति के बावजूद कंपनी का गैर-पक्षपाती होना, कार्यवाही की औचित्य और निष्पक्षता के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।

20. मान लीजिए, मद संख्या में कुछ अनियमितताओं के कारण अवांछित कार्य के लिए भुगतान। 9 जैसा कि कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया था, विभाग को वापस कर दिया गया था, जो कि 23.03.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से स्पष्ट है।

21. यह कानून की स्थिर स्थिति है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, 'विश्वासघात' के साथ 'प्रत्यर्पण' होना चाहिए। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उच्च स्तर से अनुमोदन के बाद काम निष्पादित किया जा रहा था, और याचिकाकर्ता केवल कंपनी के संविदात्मक दायित्व के संदर्भ में साइट पर काम की निगरानी, और उसी को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संपत्ति का कोई हस्तांतरण उनके पास था। आपराधिक गबन के अपराध की गंभीरता दूसरे की संपत्ति से निपटने में एक बेईमान इरादे की उपस्थिति में निहित है। याचिकाकर्ताओं के पास एक पल के लिए भी संपत्ति का कोई प्रतिधारण नहीं है। यह विभाग द्वारा कंपनी को अतिरिक्त भुगतान का मामला है, जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अनुमान भी तैयार नहीं किया गया था, जिसे कंपनी के संज्ञान में लाए जाने पर तुरंत विभाग को वापस कर दिया गया था। यह अनियमित भुगतान का मामला हो सकता है लेकिन विवेकपूर्ण कल्पना के किसी भी विस्तार से विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के प्रयास के रूप में नहीं कहा जा सकता है। आरोप, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत कथित अपराध के कानूनी तत्वों का गठन नहीं करता है।

22. पैरा 41, 45 और 46 एन. राघवेंदर (उपर्युक्त), का मामला जो इस प्रकार है संदर्भ के लिए तैयार:

“41. हम यह इंगित कर सकते हैं कि हमारे समक्ष मामले में, न तो निचली अदालत या उच्च न्यायालय ने धारा 409, 420, या 477-ए. भारतीय दण्ड संहिता के घटकों पर चर्चा की है, न ही पटना उच्च न्यायालय सी. आर. है। 2018 का डब्ल्यूजेसी

No.2593 दिनांक उन्होंने उन विशिष्ट साक्ष्य को संदर्भित करने का कोई भी प्रयास किया जो ऐसे अवयवों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय की भूमिका केवल प्रासंगिक साक्ष्य को समझने और प्रकाश में लाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके सामने मौजूद तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर प्रासंगिक कानूनों को लागू करने के लिए भी है। यह आगे प्रतीत होता है कि नीचे की अदालतों ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को आपस में बदल दिया है और मिला दिया है। जबकि आरोप मुख्य रूप से तीन खुले चेक जारी करने और खाता संख्या - 282 से 10 लाख रुपये की कथित गैरकानूनी निकासी के संबंध में तैयार किए गए थे, नीचे की अदालतों ने अपीलार्थी को इस आधार पर दोषी ठहराया है कि उसने समय से पहले और धोखाधड़ी से दो एफ. डी. आर. को धोखा दिया, जो बी. सत्यजीत रेड्डी के नाम पर था।

45. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 किसी लोक सेवक या बैंकर द्वारा उसे सौंपी गई संपत्ति के संबंध में विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से संबंधित है। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि अभियुक्त, एक लोक सेवक या एक बैंकर को वह संपत्ति सौंपी गई थी जिसके लिए वह विधिवत रूप से जवाबदेह है और उसने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया है। *(साधुपती नागेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य देखें। [सदृपति नागेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 547: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 979: (2012) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 638])*

46. सार्वजनिक संपत्ति को सौंपना और धारा 405 के तहत दर्शाए गए तरीके से बेईमान दुरुपयोग या उसका उपयोग धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। "आपराधिक विश्वासघात" पद को धारा 405 आई. पी. सी. के तहत परिभाषित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि जो कोई भी किसी भी तरह से संपत्ति या किसी संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपा गया है, वह बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित हो जाता है, या कानून के

विपरीत उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या निपटान करता है, या उस तरीके को निर्धारित करने वाले किसी कानून का उल्लंघन करता है जिसमें इस तरह के न्यास को निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, आदि का उल्लंघन करता है, उसे विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। इसलिए, धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित अवयवों को संतुष्ट किया जाना चाहिए:

46.1. किसी भी व्यक्ति को संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपना।

46.2. उस व्यक्ति ने बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है या उसे अपने उपयोग में बदल दिया है।

46.3. या वह व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान कर रहा है या कानून के किसी भी निर्देश या कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित कर रहा है।

23. जहाँ तक दूसरा निवेदन पटना उच्च न्यायालय सी. आर. द्वारा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता आई. ई., जांच में अत्यधिक देरी के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले की जांच पिछले सात (7) वर्षों से लंबित है, जो *प्रथम दृष्टया* भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन प्रतीत होता है।

24. इसके अतिरिक्त, **पंकज कुमार केस (सुप्रा)** के पैरा संख्या 25 से 28 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

“25. हालांकि, यह सच है कि जांच और मुकदमे में अत्यधिक देरी के संबंध में याचिका पहली बार हमारे सामने उठाई गई है, लेकिन हमें लगता है कि इस दूर के समय पर, अपीलार्थी के लिए अपीलार्थी की उक्त याचिका की जांच के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजना अनुचित होगा। इस तथ्य के अलावा कि यह पहले से ही विलंबित

मुकदमे को और आगे बढ़ाएगा, कोई भी सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि राज्य के विद्वान वकील ने हमारे सामने बहुत निष्पक्ष रूप से कहा कि उनके पास जांच में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और क्यों मुकदमा आठ लंबे वर्षों तक शुरू नहीं हुआ। कुछ भी, जो भी हो, यह दिखाने के लिए इंगित नहीं किया जा सकता है कि देरी किसी भी तरह से अपीलार्थी के कारण थी।

26. इसके अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिनका संक्षेप में ऊपर उल्लेख किया गया है, जो वर्ष 1981 में लगभग अठारह वर्ष का एक युवा लड़का था, जब कथित तौर पर उसके माता-पिता द्वारा प्रबंधित परिवारों द्वारा चूक और अपराध के कार्य किए गए थे, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, हमें लगता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लंबी जांच के अत्यधिक मानसिक तनाव और दबाव और पंद्रह वर्षों से अधिक समय तक उसके सिर पर लटकी डैमोकल्स की तलवार ने उसके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया होगा।

27. चाहे जो भी हो, अभियोजन पक्ष कोई असाधारण परिस्थिति दिखाने में विफल रहा है, जिसे संभवतः जांच और मुकदमे के लंबे समय तक चलने को माफ करने के लिए विचार में लिया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में चार साल की अवधि में जांच का अभावपूर्ण तरीका और आठ साल से अधिक की अत्यधिक देरी (उस अवधि को छोड़कर जब निचली अदालत का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय में था), स्पष्ट रूप से स्पष्ट है।

28. इस प्रकार, हाथ में तथ्यों पर, हम आश्चस्त हैं कि अपीलार्थी को त्वरित जांच और मुकदमे के उसके मूल्यवान संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इसलिए, वर्ष 1987 में उसके खिलाफ शुरू की गई और विशेष न्यायाधीश, लातूर के न्यायालय में लंबित आपराधिक कार्यवाही, केवल इसी छोटे से आधार पर रद्द किए जाने के योग्य है।

25. इस संदर्भ में, बिस्वनाथ प्रसाद केस (सुप्रा) के पैरा संख्या 5 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा,

जो इस प्रकार है:-

“5. यह सच है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित हैं। ऐसे मामले में, हमें और अधिक सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक [(1992) 1 एस. सी. सी. 225 में संविधान पीठ के फैसले में संकेत दिया गया है: 1992 एससीसी (सीआरआई) 93: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1701] लेकिन इस मामले में कुछ परिस्थितियाँ हैं जो हमें मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे स्पष्ट बात यह है कि भले ही एफ. आई. आर. 1-1977 को जारी की गई थी, लेकिन आरोप पत्र 5 साल के अंतराल के बाद 5-2-1983 को ही दायर किया गया था। इस असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है कि यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला होने के कारण जांच में अधिक समय लगा हो, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें निश्चित रूप से पांच साल से अधिक समय नहीं लग सकता है। उक्त परिस्थिति के साथ यह तथ्य भी जोड़ा गया है कि भले ही इस पटना उच्च न्यायालय सी. आर. में कोई रोक नहीं थी। विशेष अनुमति याचिका/आपराधिक अपील, मामले में अधिक प्रगति नहीं हुई है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी को इन्हीं आरोपों पर

सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी भविष्य निधि और उपदान राशि जब्त कर ली गई है और उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु पार कर ली है। 16 वर्षों के बाद, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों में, अब उसे बचाव में प्रवेश करने के लिए बुलाना, उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए बाध्य है।

26. इसके अलावा, संतोष डे केस (सुप्रा) के पैरा संख्या 4, 6 और 18 को पुनः

उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

“4. कुछ प्रासंगिक तथ्य बताए जा सकते हैं। उत्तरदाता बिहार सरकार के खान निदेशक थे। उसके परिसर में छापेमारी की गई और कुछ नकदी और गहने बरामद किए गए। 27-3-1978 पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रारंभिक आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप का सार यह था कि प्रत्यर्थी के पास अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से परे संपत्ति थी। 15-12-1982 पर, बिहार सरकार ने प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक था। उस कारण से-या किसी अन्य कारण से, जैसा भी मामला हो-कोई अंतिम आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। फिर भी कार्यवाही लंबित रखी गई। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी ने एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसकी अनुमति दी गई थी। हमें यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील में, इस न्यायालय ने 23-11-1987 पर एक आदेश दिया है जिसमें पक्षों को इस प्रतिबंध के साथ साक्ष्य देने की अनुमति दी गई है कि मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उक्त अंतरिम आदेश का लाभ उठाते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा 29-3-1990 पर अभियोजन के लिए मंजूरी दी

गई थी, लेकिन प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि मामले में गवाहों का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था। इस बीच, प्रतिवादी 30-11-1991 पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया।

6. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले के संचालन में देरी अभियुक्त-प्रतिवादी के कारण हुई है। 1978 से 1986 तक और फिर नवंबर 1987 से आज तक मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। अभी तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में, अब्दुल रहमान अंतुले बनाम में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करना। आर. एस. नायक [(1992) 1 एस. सी. सी. 225:1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 93], उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जाती है और आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है।

18. हालांकि हम इस बात की सराहना करते हैं कि उत्तरदाता 1 से 9 के हाथों एक गंभीर आपराधिक अपराध हुआ हो सकता है, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते हैं कि उस घटना की तारीख से लगभग 17 साल बीत चुके हैं और ये कई देरी हैं जो पहले बताई गई हैं जो अस्पष्ट हैं। हम सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में त्वरित सुनवाई के लिए उत्तरदाता 1 से 9 के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और अपील के तहत निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।

27. और **भजन लाल (उपर्युक्त)** के पैराग्राफ 102 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश प्रदान किए, जिन्हें तत्त्वरित संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है :

‘102. संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की

निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन और प्राथमिकी के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत दंडाधिकारी के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में

पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण रूप से भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से शुरू की जाती है।”

28. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ताओं के संबंध में आईपीसी की धारा 409 के तहत दंडनीय कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि यह केवल कंपनी को संविदात्मक दायित्व के तहत अनियमित भुगतान का सुझाव देते हैं, जहाँ याचिकाकर्ता प्राक्कलन समिति का हिस्सा भी नहीं प्रतीत होते हैं और इसके अलावा, उड़नदस्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार अवांछित कार्य के लिए किया गया भुगतान आरोपी/कंपनी द्वारा तुरंत विभाग को वापस कर दिया गया, इसलिए, कटिहार टाउन (सहायक) पीएस मामला संख्या 403/2018 दिनांक 25.06.2018, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटिहार की अदालत में लंबित है, को उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं के संबंध में, यदि कोई हो, परिणामी कार्यवाही के साथ रद्द/रद्द किया जाता है।

29. तदनुसार, वर्तमान रिट आवेदन की अनुमति है।

30. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वत निचली अदालत/संबंधित अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।